

जय हनुमान स्टोन केशर,
ग्राम कुडली, तहसील डीडवाना,
जिला नागौर

...अपीलार्थी

बनाम
सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
घट-द्वितीय, वृत्त नागौर

...प्रत्यर्थी

एकलपीठ
श्री नत्थूराम, सदस्य

उपस्थित : :

श्री वी.सी. सौगानी

अभिभाषक

...अपीलार्थी की ओर से

श्री अनिल पोखरणा

उप राजकीय अभिभाषक

...प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 08.01.2018

निर्णय

1. अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह अपील उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर, अजमेर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा अपील संख्या 36/10-11/वैट/नागौर में पारित आदेश दिनांक 08.03.2011 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसमें अपीलार्थी व्यवहारी ने सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट-द्वितीय, वृत्त नागौर (जिसे आगे "कर निर्धारण अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्द्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 24 व 25 के अन्तर्गत वर्ष 2007-08 के लिए पारित आदेश दिनांक 16.03.2010 के जरिये कायम की गयी मांग राशि को अपीलीय अधिकारी द्वारा यथावत रखे जाने को विवादित किया है।
2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कर निर्धारण प्रक्रिया के दौरान जांच में पाया कि अपीलार्थी ने मैसर्स अरविन्द कन्स्ट्रक्शन कंपनी डेगाना को बिक्रित माल के संबंध में प्रस्तुत विवरण अनुसार ग्रिट (Grit) अंकित किया है तथा तदनुसार पाया कि अपीलार्थी ने ग्रिट पर राज्य सरकार की अधिसूचना सं. एफ 12 (63) एफडी/टैक्स/2005-86 दिनांक 11.09.06 अनुसार ग्रिट पर प्रशमन फीस प्रति ट्रक रुपये 240/- अधिसूचित है। इसी प्रकार राज्य सरकार की अधिसूचना सं. 2005-84 दिनांक 11.09.2006 के अनुसार ग्रिट पर कर रुपये 20/- प्रतिटन निर्धारित के बावजूद अपीलार्थी द्वारा रुपये 12.50 प्रतिशत प्रतिटन वसूल किया है। इस प्रकार कर निर्धारण अधिकारी द्वारा वैट रुपये 94,407/- निर्धारित किया जिसमें से अपीलार्थी का इनपुट क्लेम रुपये

20

लगातार.....2

17,963/- तथा नकद जमा रूपये 11,464/- का समायोजन स्वीकार किया गया तथा अपीलार्थी का नियमित कर देरी से जमा मानते हुए ब्याज रूपये 16,988/- आरोपित किया है। इसके अलावा आलौच्य अवधि वर्ष 2007-08 के प्रथम, द्वितीय, तृतीय त्रैमासिक विवरण प्रपत्र वैट-10 क्रमशः 224, 132, 40 दिन देरी से पेश किये जाने के कारण अधिनियम की धारा 58 के तहत शास्ति रूपये 1,200/- आरोपित किया गया है, इस प्रकार कुल मांग रूपये 83,168/- निर्धारित की गई। इसके अतिरिक्त अपीलार्थी द्वारा जे.सी.बी. वाहन श्री रामनिवास पुत्र श्री कानाराम के नाम से खरीद रूपये 25,04,807.69/- की गई जिस पर वैट जमा रूपये 1,00,192.31/- कराया गया, का इनपुट क्लेम अपीलार्थी द्वारा चाहा गया जिसे कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अस्वीकार किया गया। इसी प्रकार श्याम सुन्दर गिरधर गोपाल द्वारा जारी वेट इनवोईस अपंजीकृत नाम जय हनुमान रोडी उद्योग कोलिया के नाम से होने व टीन नं. अंकित नहीं होने के कारण इस इनवोईस का अग्रेषित इनपुट टैक्स अस्वीकार किया गया। अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील करने पर अपीलीय अधिकारी द्वारा अपील अस्वीकार की गई जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी व्यवसायी द्वारा यह द्वितीय अपील कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी की ओर से कथन किया गया कि अपीलार्थी रोडी (गिट्टी) का क्रेशर से निर्माण करता है जिस पर राज्य सरकार की अधिसूचना सं. 2005-86 तथा 2005-84 दिनांक 11.09.2006 के अनुसार प्रतिट्रक प्रशमन फीस रु. 150/- तथा प्रतिटन रु 12.50 प्रतिशत की दर से नियमानुसार कर वसूल करके राज्य सरकार को चुकाया गया फिर भी कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रति ट्रक प्रशमन फीस रु 240/- तथा 20/- प्रति टन निर्धारित किया गया है जो गलत है। अपने तर्क के समर्थन में आगे गिट के डिक्शनरी मीनिंग का हवाला देते हुए बताया कि केम्ब्रिज डिक्शनरी अनुसार गिट का अर्थ पत्थर या रेत के छोटे टुकड़े है जबकि अपीलार्थी 10-20 एमएम गिट्टी का निर्माण करता है, इसलिये कर निर्धारण अधिकारी ने अधिसूचना दिनांक 11.09.2006 के अनुसार अपीलार्थी द्वारा निर्मित माल को गिट मानते हुए प्रशमन फीस को प्रतिट्रक रु 240/- तथा प्रतिटन दर रु 20/- से करारोपण करके विधिक भूल की है। उन्होंने आगे कथन किया कि अपीलार्थी द्वारा बिल नं 215 दिनांक 22.11.07 के द्वारा मै. मंयक इक्यूपमेन्ट, जोधपुर से जेसीबी लोडर खरीद रु 25,04,807.69/- पर चुकाया गया कर रु 100192/- का इनपुट क्लेम चाहा गया। चूंकि अपीलार्थी के लिये यह

20

लगातार.....3

खरीद केपिटल गुड्स की श्रेणी में आती है जिस पर विद्वान कर निर्धारण अधिकारी द्वारा यह कहते हुए अस्वीकार किया गया है कि उक्त जेसीबी लोडर के बिल में अपीलार्थी का अथवा फर्म का नाम व टिन नम्बर अंकित नहीं हैं। खरीद के समय अपीलार्थी द्वारा बिल में भूलवश फर्म का तथा टिन नम्बर अंकित नहीं करवाये गये तथा विक्रेता द्वारा मशीनरी को श्री रामनिवास चौधरी को प्रो. जय हनुमान क्रेशर टिन नं. 08790244655 को विक्रय करना बताया है एवं चार्ज किये हुए वैट रु 1,00192.31 को दिनांक 07.12.07 का सरकारी खजाने में जमा होने का सबूत वैट-37 (चालान) भी दिया है तथा उपरोक्त मशीन को वैट एक्ट की धारा-7 के अनुसार केपिटल गुड्स एवं धारा-18(1)(g) के अनुसार निर्माण में प्रयुक्त मशीनरी केपिटल गुड्स है। इन्होंने अपने समर्थन में राजस्थान कर बोर्ड द्वारा मै0 खटाणा स्टोन प्राईवेट लि0 के प्रकरण में (टैक्स अपडेट वोल्यूम 22 पार्ट 4 2008 पृष्ठ 135) पत्थर से गिट्टी बनाने को निर्माण मानना बताते हुये इनपुट टैक्स क्लेम स्वीकार करने हेतु निवेदन किया। इन्होंने आगे कथन किया कि मै. श्याम सुन्दर गिरधर गोपाल द्वारा जारी बिलों में फर्म का नाम असावधानी व भूलवश रोडी उद्योग से जारी किये गये हैं लेकिन अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत त्रैमासिक वैट विवरणी में फर्म के टिन नं0 दर्ज किये गये हैं जिससे जाहिर होता है कि अपीलार्थी की मंशा करापवंचना की नहीं थी। अतः इस खरीद को स्वीकार करते हुये आई.टी.सी. का लाभ दिया जावे। इन्होंने अपील स्वीकार करने हेतु निवेदन किया।

5. विद्वान उपराजकीय अभिभाषक ने निर्णय विधिसम्मत बताते हुये अपील अस्वीकार करने हेतु निवेदन किया।

6. हमने पत्रावली का अवलोकन किया व बहस पर मनन किया। न्यायालय निर्णय निम्न प्रकार है :-

7. अपील में प्रथम विचारणीय बिन्दु यह है कि व्यवहारी द्वारा क्रय विक्रय किया गया माल ग्रिट की श्रेणी में है या नहीं तथा इस पर किस दर से करारोपण किया जाना चाहिए।

विभागीय पत्रावली के अनुसार अपीलार्थी द्वारा माल के बिलों की पत्रियों में ग्रिट बेचना बताया है। अपीलार्थी पत्र के 10-20 एम.एम.के छोटें टूकडो का निर्माण करता है जिन्हें आम भाषा में ग्रिट ही कहा जाता है। ग्रिट पर राज्य सरकार की अधिसूचना सं. एफ. 12 (63) एफडी/टैक्स/2005-86 दिनांक 11.09.06 अनुसार ग्रिट पर प्रशमन फीस प्रति ट्रक रूपये 240/- अधिसूचित है। इसी प्रकार राज्य सरकार की अधिसूचना सं. 2005-84 दिनांक 11.09.2006 के अनुसार ग्रिट पर कर

२१

रूपये 20/- प्रतिटन निर्धारित हैं। इस प्रकार अपीलार्थी द्वारा सव्यवहारित माल गिट है जिस पर उपरोक्त अधिसूचनाओं के अनुसार करारोपण किया गया है जो विधिसम्मत है।

8. अपील में द्वितीय विचारणीय बिन्दु यह है कि अपीलार्थी द्वारा बिल नं. 215 दिनांक 22.11.07 के द्वारा मै. मंयक इक्यूपमेन्ट, जोधपुर से जे.सी.बी. लोडर पर इनपुट टैक्स क्लेम राशि रु. 1,00,192/- देय है या नहीं।


अपीलार्थी द्वारा बिल नं 215 दिनांक 22.11.2007 के द्वारा मै. मंयक इक्यूपमेन्ट, जोधपुर से जेसीबी लोडर पर इनपुट क्लेम रु 100192/- का किया गया है। अपीलार्थी द्वारा उक्त जेसीबी खरीद को स्वयं के द्वारा की गई खरीद बताया है केवल बिल में नाम भूलवश श्री रामनिवास चौधरी का नाम लिखा गया। अपीलार्थी का यह कथन स्वीकार योग्य नहीं है कि बिल में नाम भूलवश यह असावधानीवश अन्य व्यक्ति का लिखा गया है। चूंकि बिल में न तो अपीलार्थी का नाम है, ना ही फर्म का नाम अंकित हैं जिससे यह खरीद अपीलार्थी की नहीं मानी जा सकती। यदि अपीलार्थी द्वारा गिट्टी बनाने के कार्य को खटाना स्टोन प्रा. लि. के न्यायिक दृष्टांत के आधार पर मैन्यूफैक्चरिंग की श्रेणी में मान भी लिया जाये तो भी जेसीबी की खरीद पर इनपुट टैक्स देय नहीं है क्योंकि अपीलार्थी के नाम इनवोईस नहीं है।

9. प्रकरण में तृतीय विचारणीय बिन्दु यह है कि अपीलार्थी द्वारा श्याम सुन्दर गिरधर गोपाल से क्रय किये गये सामान राशि रु. 1,59,689/- पर क्लेम किया गया इनपुट टैक्स राशि रु. 6379/- देय है या नहीं।

कर निर्धारण अधिकारी ने श्याम सुन्दर गिरधर गोपाल द्वारा जारी वेट इनवोईस अपंजीकृत नाम जय हनुमान रोडी उद्योग कोलिया के नाम से होने व टिन नं. अंकित नहीं होने के कारण इस इनवोईस का अग्रेषित इनपुट टैक्स अस्वीकार किया है। इस संबंध में व्यवहारी का तर्क यह है कि मैं श्याम सुन्दर गिरधर गोपाल द्वारा जारी बिलों में फर्म का नाम असावधानी व भूलवश हनुमान रोडी उद्योग से जारी किये गये है। त्रैमासिकी वेट विवरणी में फर्म के टिन नं. दर्ज है। इस न्यायालय के विनम्रमतानुसार चूंकि बिलों में टिन नं. अंकित नहीं है जिससे उक्त खरीद को विधिसम्मत नहीं माना जा सकता तथा इस खरीद पर इनपुट टैक्स क्लेम स्वीकार योग्य नहीं है।

10. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण अस्वीकार की जाती हैं।

11. निर्णय सुनाया गया।


(नत्थूराम)
सदस्य